न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 32 सन 2022

अनवान :–

1. नेक मोहम्मद पुत्र गन्नी खां उर्फ गनेखां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
2. सफी खां पुत्र गन्नी खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर ।
3. यासीन खां पुत्र रोशन खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
4. नवाब दीन पुत्र रोशन खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर।

—— वादीगण

बनाम

1. अब्दुल जबार पुत्र सरीफा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
2. आमना पुत्री सरीफा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
3. आमना पुत्री गुलजारा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
4. इकबाल खां पुत्र मुन्शी खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
5. कर्मा पत्नी रोशन खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
6. कुरसेदा पुत्री सरीफा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
7. कलीमा पुत्री फुलेस खां उर्फ फुल्शे खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
8. जेतुना पुत्री सरीफा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
9. जमीला पुत्री रोशन खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
10. जरीना पुत्री फुलेस खां उर्फ फुल्शे खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
11. जलेखा पुत्र रोशनखां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
12. झेहना पुत्री सरीफा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
13. तैयब पुत्र गुलजारा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
14. बलकीसा पुत्री फुलेस खां उर्फ फुल्शे खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
15. मदीना पुत्री फुलेस खां उर्फ फुल्शे खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
16. मैना पत्नी मुन्शी खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
17. मुस्ताक पुत्र गुलजारा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
18. मोहम्मद रफीक पुत्र मुन्शी खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
19. मोहम्मद हुसैन पुत्र फलेस खां उर्फ फुल्शे खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
20. यासीन पुत्र फुलेस खां उर्फ फुल्शे खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
21. रेशमी पुत्री गन्नी खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर ।
22. सकीना पुत्री सरीफा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
23. सकीना पुत्री रोशन खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
24. समीना पुत्री सरीफा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
25. जाकिर हुसैन पुत्र यासीन खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
26. आमीर खां पुत्र यासीन खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
27. फिरोज खां पुत्र नवाबदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
28. सुमन पुत्री यासीन खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
29. मदीना पुत्री यासीन खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
30. हुसना पुत्री नवाबदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
31. बसीरा पुत्री नवाबदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
32. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

—— प्रतिवादीगण

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

Scanned with CamScanner

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 04/10/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार रो है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 768/713 की कुल 5.5780हैक्ट व खाता संख्या 493/484 की कुल 0.7080हैक्ट व खाता संख्या 240/732 की कुल 3.9210हैक्ट व खाता संख्या 732/240 की कुल 3.9200हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वज गन्नीखां वल्द मामदीन के नाम से दर्ज थी गन्नीखां वल्द मामदीन का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उनके पुत्र रोशनखा, फुलेसका, सरीफा, रेशमी, नेकमोहम्मद, सफी महोम्मद थे जिनमें से रोशन खा व उसके पुत्री गुलजारा का देहान्त हो चुका है, फुलेसका को भी देहान्त हो चुका है फुलेसका के पुत्र मुन्शीराम का भी देहान्त हो चुका है सरीफा का भी देहान्त हो चुका है इसप्रकार गन्नीखां वल्द मामदीन के जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 है जो गन्नीखां वल्द मामदीन की भूमि के हकदार है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि वादीगण एव प्रतिवादीगण एव उनके पुर्वजो के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि जो वर्तमान में वादीगण एव प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ,28 ता 31 जो वादीगण की बहने/बहनो के पुत्र/पुत्रीया है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण प्रतिवादी संख्या 25 ता 27 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 25 ता 27 के हक हिस्सा की भूमि है जो उनके कब्जा काश्त में है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि जो वादीगण एव प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 25 ता 27 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में गन्नीखां वल्द मामदीन के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी गन्नीखा पुत्र मामदीन, उसके पुत्र रोशन खा, फुलेसका, सरीफा, रोशनखा का पुत्री गुलजारा, व फलेसका का पुत्र मुन्शी फोत होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके वारिसान वादीगण एव प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ,28 ता 31 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाइयो वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 25 ता 27 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 25 ता 27 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 768/713 की कुल 5.5780हैक्ट व खाता संख्या 493/484 की कुल 0.7080हैक्ट व खाता संख्या 240/732 की कुल 3.9210हैक्ट व खाता संख्या 732/240 की कुल 3.9200हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वज गन्नीखां वल्द मामदीन के नाम से दर्ज थी गन्नीखां वल्द मामदीन का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उनके पुत्र रोशनखा , फुलेसका , सरीफा , रेशमी, नेकमोहम्मद , सफी महोम्मद थे जिनमें से रोशन खा व उसके पुत्री गुलजारा का देहान्त हो चुका है , फुलेसका को भी देहान्त हो चुका है फुलेसका के पुत्र मुन्शीराम का भी देहान्त हो चुका है सरीफा का भी देहान्त हो चुका है इसप्रकार गन्नीखां वल्द मामदीन के जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 है जो गन्नीखां वल्द मामदीन की भूमि के हकदार है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि वादीगण एव प्रतिवादीगण एव उनके पुर्वजो के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि जो वर्तमान में वादीगण एव प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ,28 ता 31 जो वादीगण की बहने/बहनो के पुत्र/पुत्रीया है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण प्रतिवादी संख्या 25 ता 27 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 25 ता 27 के हक हिस्सा की भूमि है जो उनके कब्जा काश्त में है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 768/713 की कुल 5.5780हैक्ट व खाता संख्या 493/484 की कुल 0.7080हैक्ट व खाता संख्या 240/732 की कुल 3.9210हैक्ट व खाता संख्या 732/240 की कुल 3.9200हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम सें दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वज गन्नीखां वल्द मामदीन के नाम से दर्ज थी गन्नीखां वल्द मामदीन का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उनके पुत्र रोशनखा , फुलेसका , सरीफा , रेशमी, नेकमोहम्मद , सफी महोम्मद थे जिनमें से रोशन खा व उसके पुत्री गुलजारा का देहान्त हो चुका है , फुलेसका को भी देहान्त हो चुका है फुलेसका के पुत्र मुन्शीराम का भी देहान्त हो चुका है सरीफा का भी देहान्त हो चुका है इसप्रकार गन्नीखां वल्द मामदीन के जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 है जो गन्नीखां वल्द मामदीन की भूमि के हकदार है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि वादीगण एव प्रतिवादीगण एव उनके पुर्वजो के नाम से दर्ज है वादीगण के कथनो को प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 , 28 ता 31 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 , 28 ता 31 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 25 ता 27 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 व28 ता 31 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 के द्वारा स्वीकार करने एवं पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता संख्या 768/713 के खसरा नं. 940/353 का कुल क्षेत्रफल 6.5780 है0 भूमि में वादी संख्या 3 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 का नाम कलमजन किया जाकर पहले से दर्ज सहित वादीगण संख्या 1 ता 2 प्रत्येक के 1/3 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 25 व 26 के ब0 हि0 ब0 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 27 के 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज की जावे तथा खाता संख्या 493/484 के खसरा नं. 352 की कुल 0.7080 है0 भूमि में मृतक फलसे खां, रोशन खां, सरीफा व प्रतिवादी संख्या 21 का नाम कलमजन किया जाकर पहले से दर्ज सहित वादीगण संख्या 1 ता 2 प्रत्येक के 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 25 व 26 के ब0 हि0 ब0 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 27 के 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज की जावे तथा रोही मौजा ननाऊ के खाता संख्या 240/732 की 3.9210 है0 भूमि वादी संख्या 4 के नाम यथावत रखी जावे व रोही मौजा ननाऊ के खाता संख्या 732/240 की कुल 3.9200 है0 भूमि वादी संख्या 3 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/10/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1 नेक मोहम्मद पुत्र गन्नी खां उर्फ गनेखा जाति मुसलमान कुम्हार निवारी ननाऊ तहसील नोहर. ।
2. सफी खां पुत्र गन्नी खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर ।
3. यासीन खां पुत्र रोशन खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
4. नवाब दीन पुत्र रोशन खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर।

— वादीगण

बनाम

1. अब्दुल जबार पुत्र सरीफा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
2. आमना पुत्री सरीफा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
3. आमना पुत्री गुलजारा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
4. इकबाल खां पुत्र मुन्शी खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
5. कर्मा पत्नी रोशन खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
6. कुरसेदा पुत्री सरीफा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
7. कलीमा पुत्री फुलेस खां उर्फ फुल्शे खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
8. जेतुना पुत्री सरीफा जाति गुरालमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
9. जमीला पुत्री रोशन खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
10. जरीना पुत्री फुलेस खां उर्फ फुल्शे खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
11. जलेखा पुत्र रोशन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
12. झेहना पुत्री सरीफा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
13. तैयब पुत्र गुलजारा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
14. बलकीसा पुत्री फुलेस खां उर्फ फुल्शे खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
15. मदीना पुत्री फुलेस खां उर्फ फुल्शे खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
16. मैना पत्नी मुन्शी खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
17. मुस्ताक पुत्र गुलजारा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
18. मोहम्मद रफीक पुत्र मुन्शी खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर
19. मोहम्मद हुसैन पुत्र फुलेस खां उर्फ फुल्शे खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
20. यासीन पुत्र फुलेस खां उर्फ फुल्शे खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
21. रेशमी पुत्री गन्नी खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर ।
22. सकीना पुत्री सरीफा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
23. सकीना पुत्री रोशन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
24. समीना पुत्री सरीफा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
25. जाकिर हुसैन पुत्र यासीन खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
26. आमीर खां पुत्र यासीन खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
27. फिरोज खां पुत्र नवाबदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
28. सुमन पुत्री यासीन खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
29. मदीना पुत्री यासीन खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
30. हुसना पुत्री नवाबदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
31. बसीरा पुत्री नवाबदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी ननाऊ तहसील नोहर. ।
32. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— प्रतिवादीगण

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 667 सन 2022 निर्णय दिनांक– 04/10/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता संख्या 768/713 के खसरा नं. 940/353 का कुल क्षेत्रफल 6.5780 है0 भूमि में वादी संख्या 3 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 का नाम कलमजन किया जाकर पहले से दर्ज सहित वादीगण संख्या 1 ता 2 प्रत्येक के 1/3 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 25 व 26 के ब0 हि0 ब0 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 27 के 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज की जावे तथा खाता संख्या 493/484 के खसरा नं. 352 की कुल 0.7080 है0 भूमि में मृतक फुलसे खां, रोशन खां, सरीफा व प्रतिवादी संख्या 21 का नाम कलमजन किया जाकर पहले से दर्ज सहित वादीगण संख्या 1 ता 2 प्रत्येक के 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 25 व 26 के ब0 हि0 ब0 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 27 के 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज की जावे तथा रोही मौजा ननाऊ के खाता संख्या 240/732 की 3.9210 है0 भूमि वादी संख्या 4 के नाम यथावत रखी जावे व रोही मौजा ननाऊ के खाता संख्या 732/240 की कुल 3.9200 है0 भूमि वादी संख्या 3 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/10/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner